FORM NO 111

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान :– **बादल सिंह आदि** **बनाम** **सुखदेव सिंह आदि**

धारा :– ~~212~~ 88 आर.टी.ए. मुकदमा नं0:– 77 /2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
3.4.2018	यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा एल.आर.ए. (विविध) वकील प्रार्थी के द्वारा पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्राथीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण नोटिस द्वारा तलब किया जावे। कर पत्रावली दिनांक 2.5.2018 को पैश हौ। [signature]	
30/5/18	पत्रावली राजीनामा लोक अदालत कैम्प हिरना वाली (?) में पेश हुई। वादीगण अभिभाषक उप.। प्रतिवादी क्र.1 ता 3 की ओर से श्री जयप्रकाश एड. ने वकालतनामा पेश किया। वादीगण व प्रतिवादी क्र.1 ता 3 ने राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रा० किया गया। प्रतिवादी क्र.8 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। वादीगण की ओर से प्रतिवादी क्र.4 ता 7 का नाम वाद-पत्र से विलोपित करने हेतु प्र.पत्र आ.1 नि.10(2) CPC पेश किया जिस प्रतिवादी पक्ष की ओर से No-objection करने पर प्र.पत्र स्वीकार कर प्रति. क्र.4 ता 7 का नाम विलोपित शीघ्र (?) से किया जाता है। वाद-पत्र पर बहस सुनी गई। वाद-पत्र में प्रतिवादीया क्र.3 द्वारा शपथ-पत्र पेश किया गया कि उक्त सतवीर कौर उर्फ गुरविन्द्र सिंह दोनों नामों से जाना जाता है। वाद-पत्र का कोई विरोध नहीं होने से वादीगण का वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है, आदेश अलग से लिखाया जाकर सुनाया गया जो शामिल मिसल है। राजीनामा	बादल सिंह करतार सिंह (?) I by me [signature] सुखदेव (?) सतवीर कौर गुरविन्द्र कौर उर्फ सतवीर (?) I by me [signature] 30/5/18

Scanned by CamScanner

निर्णय व डिक्री का जुज़ रहेगा। फर्द डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला मुताबिक होकर शामिल दफ्तर की जावे।

आदेश सुनाया गया।

Scanned by CamScanner

(2)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ ।
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट, हिरनावाली
पीठासीन अधिकारीः– सुरेन्द्र सिह पुरोहित (आर.ए.एस.)

1.बादल सिह 2. बलकार सिह पि. सुखदेव सिह जाति जटसिख निवासी हिरनावाली तहसील हनुमानगढ।

———वादीगण।

बनाम

1. सुखदेव सिह पुत्र कृपाल सिह जाति जटसिख निवासी हिरनावाली तहसील हनुमानगढ 2. सतवीर कौर पुत्री सुखदेव सिह पत्नी सुखदीप सिह निवासी केसरीसिहपुर जिला श्रीगंगानगर 3. सर्वजीत कौर उर्फ गुरविन्द्र कौर पुत्री सुखदेव सिह पत्नी गुरमेल सिह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया 4. बलकार सिह पुत्र जसवीर सिह 5.बलराज सिह पुत्र जसवीर सिह 6. दलवीर सिह पुत्र बलवंत सिह 7. गुरमीत कौर पत्नी दलवीर सिह जाति जटसिख निवासी 18 एल एल तहसील हनुमानगढ (प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के नाम वाद पत्र शीर्षक से नाम विलोपित)8. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।

————प्रतिवादीगण।

राजस्व वाद संख्याः– 77/2018

अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए

पर्चा डिकी

वादी की ओर से श्री सुखपाल सिह,एडवोकेट व प्रतिवादी की और से श्री जयप्राकश एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.5.2018 को दावा मेरे समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाकर वादग्रस्त आराजी चक 18 एल एल डब्ल्यू बी खाता संख्या 45/62 बलराज सिह वगैरा जं.स. 2073 से 2076 में दर्ज कुल आराजी 3.036 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 सुखदेव सिह के नाम दर्ज आराजी 1.518 है. व इसी चक के खाता संख्या 39/20 खाता बलकार सिह वगैरा ज.स. 2073–2076 में दर्ज कुल आराजी 4.807 है. में से प्रतिवादी संख्या 1 सुखदेव सिह के नाम से दर्ज आराजी 2.201 है. उक्त दोनो खातो की प्रतिवादी संख्या 1 सुखदेव सिह के नाम दर्ज कुल आराजी 3.719 है. कृषि भूमि में प्रतिवादीया संख्या 2 व 3 के हक परित्याग उपरांत 1/3–1/3 हिस्सा का वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय व डिकी का जुज रहेगा। यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करेगे।

यह आज यह प्राथमिक डिकी 30.5.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
एंव सहायक कलक्टर
हनुमानगढ
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

(3)

राजस्व लोक अदालत कैम्प हिरणावाली

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)हनुमानगढ।

नाम पीठासीन अधिकारीः–सुरेन्द्र सिह, पुरोहित(आर ए एस)
राजस्व वाद संख्या :–77/2018

1.बादल सिह 2. बलकार सिह पि. सुखदेव सिह जाति जटसिख निवासी हिरनावाली तहसील हनुमानगढ।
———वादीगण।

बनाम

1. सुखदेव सिह पुत्र कृपाल सिह जाति जटसिख निवासी हिरनावाली तहसील हनुमानगढ 2. सतवीर कौर पुत्री सुखदेव सिह पत्नी सुखदीप सिह निवासी केसरीसिहपुर जिला श्रीगंगानगर 3. सर्वजीत कौर उर्फ गुरविन्द्र कौर पुत्री सुखदेव सिह पत्नी गुरमेल सिह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया 4. बलकार सिह पुत्र जसवीर सिह 5.बलराज सिह पुत्र जसवीर सिह 6. दलवीर सिह पुत्र बलवंत सिह 7. गुरमीत कौर पत्नी दलवीर सिह जाति जटसिख निवासी 18 एल एल तहसील हनुमानगढ (प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के नाम वाद पत्र शोर्षक से नाम विलोपित)8. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।
————प्रतिवादीगण।

अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधि.

उपस्थितः–
1.श्री सुखपाल सिह एडवोकेट–वादीगण।
2.श्री जयपाल, एडवोकेट–प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

दिनांकः 30.5.2018

<u>निर्णय</u>

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प हिरनावाली न्याय आपके द्वार 2018 में पेश हुई । वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा पैतृक सम्पति में अपना जन्म से हक मानते हुऐ दादा कृपाल सिह के निधन के बाद चक 20 एल एल डब्ल्यू बी की कृषि भूमि जो वादीगण के पिता सुखदेव सिह प्रतिवादी संख्या 1 को विरास्त में प्राप्त हुई जिसका विवरण वाद पत्र के चरण संख्या 3 खाता संख्या 35/20 में 261 हिस्सा तथा खाता संख्या 75/65 में 0.759 है. कृषि भूमि मुताबिक जमाबंदी है। वादीगण के पिता सुखदेव सिह ने जून 2017 में अपनी विरास्तन आराजी चक 20 एल एल डब्ल्यू बी की कृषि भूमि का तबादला जसवीर सिह के पुत्रो बलकार सिह एवं बलराज सिह प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के साथ चक 18 एल एल डब्ल्यू बी में कर लिया तथाा उप पंजीयक, हनुमानगढ में तबादला तस्दीक करवा लिया जिसके आधार पर वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के नाम से अलग–अलग इन्तकाल दर्ज हो गये तथा उक्त खाता संख्या 39/20 में 2.201 है. कृषि भूमि

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Scanned by CamScanner